कार्यपालन सारांश

कर संग्रहण	वर्ष 2010–11 में वन प्राप्तियों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
वर्ष 2010–11 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमने वन प्राप्तियों से संबंधित 101 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 159 प्रकरणों में अन्तर्निहित 61.57 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होने/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला। विभाग ने चार प्रकरणों में 7.27 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2010–11 के दौरान इंगित किया गया था।
हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है।	इस अध्याय में हमने वन मण्डलाधिकारियों के कार्यालयों में चिन्हांकित वृक्षों से अधिक की अनियमित कटाई एवं काष्ठ के अनियमित विक्रय से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहॉ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह एक चिंता का बिषय है कि पिछले कई वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह की चूकें हमारे द्वारा कई बार उल्लेखित की गई हैं लेकिन विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित की गई राशि को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है; विशेषकर उन प्रकरणों में, जहॉ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय–9
वन प्राप्तियां

9.1 कर प्रशासन

वन विभाग शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के सम्पूर्ण नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) विभाग के सम्पूर्ण प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं । राज्य में कुल 92 वनमंडल कार्यालयों में से 75 राजस्व उगाही से संबंधित कार्यकलाप करते हैं ।

9.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान वास्तविक वन प्राप्तियॉ उसी अवधि के दौरान कुल कर–भिन्न प्राप्तियों के साथ नीचे दी गई तालिका एवं ग्राफ में दर्शायी गयी हैं ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (–)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर–भिन्न प्राप्तियों में वास्तविक वन प्राप्तियों का प्रतिशत
2006–07	450.00	536.50	(+) 86.50	(+) 19.22	2,658.46	20.18
2007–08	543.00	608.89	(+) 65.89	(+) 12.13	2,738.18	22.24
2008–09	600.00	685.60	(+) 85.60	(+) 14.27	3,342.86	20.51
2009–10	850.00	802.00	(-) 48.00	(-) 5.65	6,382.04	12.57
2010–11	1,000.00	836.61	(-) 163.39	(-) 16.34	5,719.77	14.63

राज्य की कुल कर–भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों के प्रतिशत योगदान में वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में कमी के बाद वर्ष 2010–11 में न्यून वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गई है ।

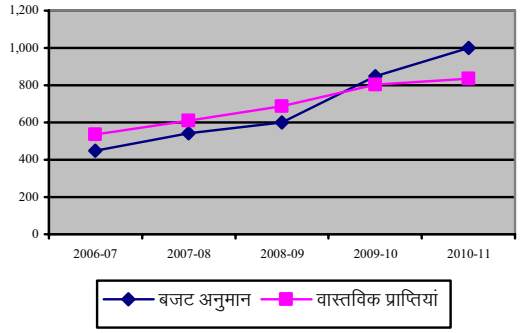

वर्ष 2010–11 में वन प्राप्तियों से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 4.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

9.3 बजट अनुमानों का विश्लेषण

शासन स्तर पर बजट तैयारी से संबंधित कोई नस्ती लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई । तथापि, हमने प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से यह अवलोकित किया कि बजट अनुमान, एक समान मापदण्डों को अपनाये बिना वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों को अनुमानित करने में तदर्थ आधार पर किया गया । वर्ष 2010–11 के लिये बजट अनुमान ₹ 1,000 करोड़ के विरूद्ध 1,002.25 करोड़ पुनरीक्षित अनुमान था । पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां (₹ 836.61 करोड़) 16.53 प्रतिशत कम पाई गईं जो कि मुख्यतः काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद से राजस्व की असाधारण कमी के कारण थीं ।

9.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वन विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये वित्त विभाग द्वारा कुल नौ पद (संचालक वित्त/बजट एवं वित्तीय सलाहकार–01, उप संचालक–01, सहायक संचालक–01, सहायक आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारी–06 जिसमें से एक पद रिक्त है) स्वीकृत किये गये हैं । दिनांक 28 अक्टूबर 1992 के विभागीय आदेशों के अनुसार, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा नियमावली को प्रभावी बनाया गया है। आन्तरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन प्रत्येक वर्ष के लिये तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

वर्ष 2010–11 के लिए तैयार किये गये रोस्टर के अनुसार, 57 इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध 54 इकाई कार्यालयों में आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित की गई थी ।

9.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वन प्राप्तियों से संबंधित 101 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में 159 प्रकरणों में ₹ 61.57 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व की वसूली न होने/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बांस/इमारती लकडी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण राजस्व प्राप्ति न होना	2	0.22
2.	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण कम राजस्व प्राप्ति	6	0.62

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व प्राप्ति न होना	26	1.75
4.	वनोपज का लेखांकन न किये जाने के कारण कम राजस्व प्राप्ति	6	0.65
5.	अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध इमारती लकडी/बांसों के कम उत्पादन के कारण कम राजस्व प्राप्ति	9	0.95
6.	अन्य प्रेक्षण	110	57.38
	योग	**159**	**61.57**

वर्ष के दौरान, विभाग ने चार प्रकरणों में ₹ 7.27 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

9.6 चिन्हांकित वृक्षों से अधिक की अनियमित कटाई

प्रचलित कार्य आयोजना के अध्याय 12 की कंडिका 16 के प्रावधानानुसार कार्य आयोजना में निर्धारित प्रावधानों के अतिरिक्त कोई भी विदोहन अनियमित तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा ।

हमने वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) डिण्डौरी के अभिलेखों से अवलोकित किया (अगस्त 2009 एवं जुलाई 2010) कि क्रमांक सात के 33 कूपों एवं क्रमांक 11 के तीन कूपों में कुल 37,416 चिन्हांकित वृक्ष सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा उत्पादन वनमण्डल डिण्डौरी को विदोहन हेतु जुलाई 2009 में हस्तांतरित किये गये थे । वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) डिण्डौरी ने नियंत्रण में लिये कूपों के संबंध में विदोहन योजना फरवरी 2010 में मुख्य वन संरक्षक, मध्य वृत्त, जबलपुर को प्रस्तुत की । चिन्हांकित वृक्षों के और कोई भी कूप उत्पादन वन मण्डल डिण्डौरी को हस्तांतरित नहीं किये गये थे । इन कूपों में से 31 कूपों में 28,928 चिन्हांकित वृक्षों के विरूद्ध 74,166 वृक्षों का विदोहन किया जाना पाया गया (शेष पांच कूपों में वृक्ष चिन्हांकन के अनुरूप काटे गये) और अनुमानित उत्पादन 12,958.82 घनमीटर काष्ठ एवं 4,126 जलाउ चट्टों के विरूद्ध 22,826.50 घनमीटर काष्ठ एवं 12,390 जलाउ चट्टे प्राप्त किये गये । इस प्रकार चिन्हांकित वृक्षों से 45,238 वृक्ष अधिक विदोहित किया जाना पाया गया और 9,867.68 घनमीटर काष्ठ और 8,264 घनमीटर जलाउ चट्टे अतिरिक्त उत्पादित किये गये ।

हमने प्रकरण को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और शासन को प्रतिवेदित किया (मार्च 2011) । शासन ने बताया (मई 2011) कि विदोहन की अवधि के दौरान, वृक्षों में चिन्हांकन के पुनरीक्षण की प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार जरूरत थी और पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप अनुमानित उत्पादन में परिवर्तन हुआ जिसे उत्पादन वन मण्डल को हस्तांतरित किया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 45,238 अतिरिक्त अचिन्हांकित वृक्षों का विदोहन कार्य आयोजना में निर्धारित सीमा से बाहर किया गया तथा इसका वन घनत्व तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडा जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का स्पष्ट उल्लंघन है । इसके अतिरिक्त, वृक्षों के विदोहन के पश्चात उनके चिन्हांकन में पुनरीक्षण वृक्षों के चिन्हांकन की प्रणाली को दुर्बल बनाता है और इसलिये अनियमित है ।

9.7 काष्ठ का अनियमित विक्रय

स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी के विक्रय की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम 3 के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान की ओर से नीलाम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह उपयुक्त रीति से सक्षम न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित एवं व्यक्ति और व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा ऐसा करने हेतु अधिकार दिये जाने हेतु निष्पादित मुख्तारनामा वन मण्डल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा । आगे, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, में प्रावधानित है कि मुख्तारनामा में एक लेन देन में एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करने हेतु मुद्रांक की राशि ₹ 50 तथा एक से अधिक लेनदेनों हेतु ₹ 100 होगी ।

हमने वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) खण्डवा के आशापुर डिपो में फरवरी 2009 से फरवरी 2010 के मध्य काष्ठ के विक्रय से संबंधित अभिलेखों से अवलोकित किया कि एक काष्ठ आढ़तिया ने आठ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से 25 काष्ठ के ढेरों (लॉट) का क्रय किया । उपरोक्त नियम के उल्लंघन में, इस उद्देश्य से छः व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से प्रस्तुत किये गये मुख्तारनामा ₹ 10 एवं ₹ 20 के मुद्रांकों पर नोटरी द्वारा प्रमाणित थे और आढ़तिया को दो अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही नीलाम में बोली लगाने की अनुमति दे दी गई । विक्रय, विधिमान्य मुख्तारनामे से समर्थित नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 56.48 लाख के काष्ठ की अनियमित बिक्री हुई ।

हमने प्रकरण को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2010) । शासन ने बताया (सितम्बर 2010) कि नियम (3) की शर्तों का पालन न करने के लिये संबंधित क्रेताओं को काली सूची में डाला गया है तथा दोषी कर्मचारियों को चेतावनी दी जा चुकी है । आगे यह बताया गया कि तात्कालिक उपाय के रूप में मुद्रांक शुल्क के कम प्राप्त ₹ 230 वसूल किये गये तथा इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कार्रवाई की जा रही थी ।